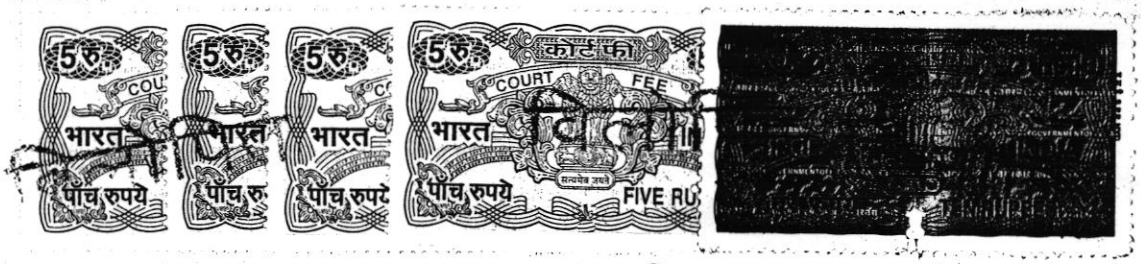

[redacted]

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

I/निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/1276

विमल तनय स्व0 श्री शिवकिशोर तिबारी,

निबासी– ग्राम तिंदनी , हाल निबासी– कमला नहरू वार्ड हटा ,

तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0 ....आवेदक

वनाम

विनय तनय स्व0 श्री शिवकिशोर तिबारी,

निबासी– ग्राम तिंदनी , हाल निबासी कमला नहरू वार्ड हटा ,

तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0 .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी **नायब तहसीलदार महोदय, मड़ियादों, तहसील हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0 क0 16 अ/6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12/02/2018** से परिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहा है। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि, आवेदक एवं अनावेदक के पिता के शिवकिशोर नाम से जो भी संपत्तियां थी, उपरोक्त संपत्त्यिों के नामांतरण वावद दों अलग अलग आवेदनपत्र उभयपक्षों द्वारा अधिनस्थ बिचारण न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। जिसमें से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र वारिसान आधार पर नामांतरण हेतु था, तथा अनावेदक द्वारा एक बसीयतनामा शिवकिशोर द्वारा लिखित दर्शाकर बसीयतनामा के आधार पर शिवकिशोर के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का नामांतरण अपने नाम से करने वावद प्रस्तुत किया गया था। जिस पर बिचारण न्यायालय द्वारा दोंनों प्रकरणों को संयोजित करके एक साथ बिचारण प्रारंभ कर दिया है।

3– यह कि साक्ष्य के दौरान आवेदक की ओर से एक आवेदनपत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के साथ उभयपक्षों एवं पिता के बीच लेख किये गये बंटवारानामा की कार्बन प्रति को प्रकरण में प्रगामिक साक्ष्य में ग्राहय करने का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, जिसके साथ उभयपक्षों एवं पिता के बीच हुये

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1276

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा वसीयतनामा लेखक एवं वसीयक साक्षियों एवं वैध वारिसों को आहुत किए जाने के आदेश दिए हैं। तथा प्रकरण कथन हेतु नियत किया है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक का कहना है कि उन्हें बिना सुने कार्यवाही की जा रही है जबकि आवेदक का उक्त तर्क सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि तहसीलदार ने वसीयतनामा लेखक एवं वसीयत साक्षियो के अतिरिक्त वैध वारिसों को भी आहुत किए जाने के निर्देश दिए हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी अग्राह्य करते हुए तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिवत करें। **प्रशासकीय सदस्य**	